न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 75/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/191

अपीलान्ट

1. श्रीवणराम पुत्र कानाराम दत्तक पुत्र स्व. धन्नाराम जाति जाट
2. सन्तु पुत्री कानाराम जाति जाट

सभी निवासी बेसरोली तहसी मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. तहसीलदार मकराना।
2. मोहनराम पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी ढाका की ढाणी बेसरोली तहसील मकराना
3. भीयाराम पुत्र बिरमाराम
4. श्रवणराम पुत्र बिरमाराम
5. मोहनी पुत्री बिरमाराम
6. गेनी पुत्री बिरमाराम
7. पप्पूड़ी पुत्री बिरमाराम
   सभी जाति जाट निवासीगण बीढवालिया तहसील परबतसर जिला डीडवाना–कुचामन।
8. नोजी देवी पत्नी नाथुराम जाति जाट निवासी लाडोली तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम म्यूटेशन अपील विरूद्ध तहसीलदार मकराना ने निर्णय दिनांक 14.03.2023 को म्यूटेशन क्रमांक 1069 विरासत के आधार पर स्वीकृत किया।

उपस्थितः–

1. श्री मुस्ताक खां व श्री छोटूराम वकील अपीलान्ट की ओर से
2. श्री बलजीत सिंह वकील रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 08 की ओर से

–ःआदेशः–

दिनांकः 03.09.2024

अपीलान्ट की ओर से निम्न अपील पेश है किः–

1. ग्राम बेसरोली की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 43 रकबा 9.4373 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 54 रकबा 3.1970 हैक्टयर जमीन स्थित है। यह जमीन पूश्तैनी है तथा हेमाराम जी की थी। हेमाराम जी के दो पु[illegible] और धन्नाराम दानों भाई थे। धन्नाराम के एक पुत्री कमला हुई [illegible] मौत हो गई। धन्नाराम की पत्नी लादूड़ी थी [illegible] कमला के [illegible] कोई सन्तान नहीं हुई थी। नोजादेवी तथा धापूदेवी धनाराम की लड़कियां थी जो धन्नाराम की नहीं थी। इसलिए धन्नाराम की जमीन में धापुदेवी [illegible] नोजादेवी के कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

पुश्तैनी हक–अधिकार नहीं है परन्तु तहसीलदार ने विरासत म्यूटेशन क्रमांक 1065 दिनांक 07.02.2023 के जरिये धापूदेवी नोजादेवी के नाम स्वीकृत किया जबकि धन्नाराम की जमीन में इनका पूश्तैनी हक–अधिकार उत्पन्न नहीं होता है फिर भी कानून के विपरीत जाकर तहसीलदार ने विरासत म्यूटेशन भरा गया तथा फिर इन्होने मोहनराम के नाम हक त्याग किया गया तथा इस हक त्याग के आधार पर विवादित म्यूटेशन स्वीकार किया गया जो गलत एवं कानूनी रूप से गलत है।

2. इस जमीन खसरा नम्बर 54 की जमीन में 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट के पिता व पति कानाराम को म्यूटेशन क्रमांक 304 दिनांक 21.06.2018 के जरिये मिली है तथा उक्त म्यूटेशन तहसीलदार परबतसर ने कानूनी प्रक्रिया अपनाकर किया है क्योंकि म्यूटेशन 235 दिनांक 27.07.1987 में कानाराम का नाम दर्ज नहीं किया गया था जबकि कानाराम को धन्नाराम ने बचपन में ही गोद ले लिया था जिसकी लिखा–पढ़ी सम्वत् 2034 में की थी तथा दिनांक 05.05.1977 को धन्नाराम ने लिखकर कानाराम को गोद पुत्र स्वीकार किया था। ग्राम पंचायत बेसरोली में भी दिनांक 27.12.1973 को धन्नाराम ने यह लिखत पंचायत कोर्ट के समक्ष पेश की थी। कानाराम व धन्नाराम के सगे ही भाई रूघाराम का लड़का था तथा रूघाराम के चार लड़के होने से कानाराम को गोद दिया था। कानाराम की परिविरिश भी धन्नाराम ने की थी तथा उसका विवाह भी धन्नाराम ने ही किया था। धन्नाराम की मृत्यु पर पाग दस्तुर भी कानाराम के किया गया था इसलिए म्यूटेशन नम्बर 235 को कानाराम ने श्रीमान् कलेक्टर साहब के यहां अपील द्वारा चेलेन्ज किया था तथा म्यूटेशन नम्बर 304 तहसीलदार द्वारा कानाराम के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी का दर्ज किया गया था तथा उक्त तहसीलदार का आदेश दिनांक 21.06.2008 अन्तिम हो चुका है जिससे कानाराम की खातेदारी को हटाने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था परन्तु यदि लादूड़ी का विरासत म्यूटेशन करते समय सभी कानूनी बिन्दूओं को ताक में रख दिया गया था। कानाराम का नाम क्यों हटाया तथा धापूदेवी व नोजादेवी धन्नाराम की सन्ताने नहीं है तो विरासत म्यूटेशन कैसे स्वीकार किया गया।

3. उपरोक्त सारी कार्यवाही चुपचाप बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये की गई है। अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस दिया गया तथा न ही सुनवाई का अवसर दिया गया जिससे उपरोक्त सारी म्यूटेशन की प्रक्रिया ही गलत व अधिकारहीन है जिससे म्यूटेशन काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट इस जमीन के मालिक व खातेदार है जिससे यह अपील पेश की जा रही है।

4. तहसीलदार मकराना ने कानूनी रूप से दस्तावेजी साक्ष्य व उत्तराधिकार कानून के विपरीत जाकर म्यूटेशन स्वीकृत किया है जो काबि[illegible] है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन [illegible] म्यूटे[illegible] क्रमांक 1065 व 1069 को निरस्त फरमाने की कृपा करावें।

बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में लिखे गये तथ्यों को ही दोहराया तथा नामान्तरकरण [illegible] 1065 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

07.02.2023 व नामान्तरकरण संख्या 1069 दिनांक 14.03.2023 को निरस्त करने का नवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मोहनराम धन्नाराम का दत्तक पुत्र है जिसकों पजींबद्ध दस्तावेज से गोद लिया गया है। लादुडी की मृत्यू के पश्चात उसके जीवित वारिस मोहनराम (गोदपुत्र), धापूदेवी, नोजी देवी के नाम से नामान्तरकरण भरा गया है। कानाराम धन्नाराम का गोदपुत्र नहीं है क्योंकि उसके प्राकृतिक पिता रूघाराम की मृत्यू के पश्चात रूघाराम की सम्पति में कानाराम का नाम दर्ज है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारीज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने विभिन्न न्यायालयों की निम्न नजीरे पेश की :–

1- State of Rsj. v/s Shanker & anr. – (284) RRD 343
2- Smt. Rukamani & ors. v/s Jangbaz Khan & anr. – (285)
3- Budh Dan v/s Bord of Revenue & ors. – (31)
4- Yadram v/s Ravindra Kumar & ors. 2016(1) RRT 296
5- Mukesh & ors. v/s Dev prakash & Anr. 20016(1) RRT 300

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत आराजी में अपीलांट द्वारा ग्राम बेसरोली के नामान्तरकरण संख्या 1065 दिनांक 07.02.2023 व नामान्तरकरण संख्या 1069 दिनांक 14.03.2023 को अविधिकपूर्वक स्वीकृत किये जाना बताते हुए चुनौती दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1065 व 1069 का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1065 दिनांक 07.02.2023 को खोला गया। उक्त नामान्तरकरण खातेदार लादुडी के जीवित वारिसान श्री मोहनराम (गोदपुत्र), धापूदेवी, नोजीदेवी के नाम पर स्वीकृत किया गया एवं धापुदेवी व नोजीदेवी जायन्दा पुत्रियां होने के आधार पर विरासतन स्वीकृत किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार खातेदार लादुडी के नाम पर प्रश्नगत भूमि खसरा सं0 43 व 54 इनके पति धन्नाराम की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण सं0 235 दिनांक 27.07.1982 से विरासतन प्रात हुई। लादुडी की मृत्यु के पश्चात अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 1065 से उनके गोदपुत्र मोहनराम एवं पूर्व पति की जायन्दा पुत्रिया धापुदेवी व नोजीदेवी को विधिक उत्तराधिकारी मानते हुए तहसीलदार मकराना द्वारा स्वीकृत किया गया।

मोहनराम को गोदपुत्र मानने के लिए अधिनस्थ न्यायालय ने गोदनाम दिनांक 10.09.1982 एवं अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 10.04.2009 को आधार बनाया। उक्त पंजीबद्ध [illegible] उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त लादुडी का पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 15.02.2002 भी पत्रावली में उपलब्ध है। जिससे भी लादुडी द्वारा विवादित नामान्तरकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 16:53:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

वर्णित भूमि को वसीयत के आधार पर मोहनराम के हक में किये जाने का उल्लेख है।

उक्त तथ्यों के आधार पर गोदपुत्र मोहनराम, धापुदेवी एवं नोजीदेवी को लादुडी का विधिक उत्तराधिकारी मानने बाबत तहसीलदार मकराना का निर्णय उचित प्रतीत होता है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1069 में खातेदार धापुदेवी एवं नोजीदेवी द्वारा अन्य सह खातेदार मोहनराम के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर खोला गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा हकत्याग पत्र को किसी सक्षम न्यायालय में चुनोती देकर खारिज करवा लिया हो। ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत हीं किया गया।

राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों अनुसार कोई भी खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी भूमि को पंजीकृत हकत्याग पत्र के माध्यम से अन्य सह काश्तकार के पक्ष में हकत्याग कर सकता है।

प्रश्नगत प्रकरण में खातेदार धापुदेवी एवं नोजीदेवी ने खसरा सं0 43 व 54 में खातेदारी अधिकार सिद्ध है तथा खातेदारों द्वारा किया गया पंजीकृत हकत्याग पत्र भी विधि अनुरूप है। पंजीकृत हकत्याग के आधार पर ही नामान्तरकरण सं0 1069 में धापुदेवी एवं नोजीदेवी के स्थान पर मोहनराम का नाम दर्ज किया गया जो विधि अनुरूप प्रतीत है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा मुकदमा संख्या 81 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2022 में भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा श्री मोहनराम को मृतक लादुडी का विधिक वारिसान मानते हुए मोहनराम के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद स्वीकार किया।

यह एक निर्विवादित तथ्य है कि लादुडी, धन्नाराम की विवाहिता पत्नी थी। धन्नाराम के आराजी नम्बर 43 एवं 54 में खातेदार होने का तथ्य भी निर्विवादित है। नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 27.07.982 के द्वारा धन्नाराम की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजीयात लादुडी के नाम से आना भी निर्विवाद है तथा खातेदार धापुदेवी एवं नोजीदेवी ने अपने खातेदारी अधिकारों को हकत्याग करने का पूर्ण अधिकार है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण को क्षेत्राधिकार में नहीं होना अंकित किया है। इस बाबत उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण एक विवादित नामान्तरकरण की श्रेणी में आता है तथा भू–राजस्व अधिनियम 135(2) के तहत विरासत के विवादित नामान्तरकरण को [illegible] का श्रेत्राधिकार तहसीलदार को है एवं तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में ही निर्णय किया है।

जहां तक कानाराम के स्व0 श्री धन्नाराम के दत्तक पुत्र होने का प्रश्न है अपीलंट द्वारा इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

धन्नाराम की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1982 से लादुडी के नाम पर धन्नाराम के एक मात्र वारिस के रूप में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना एवं 1982 से नामान्तरकरण स्वीकृत होने की दिनांक तक जमाबन्दी में लादुडी के नाम का अंकन होना भी अपीलांट के कथन को अप्रमाणित सिद्ध करता है।

उपखण्ड अधिकारी मकराना के यहां प्रस्तुत वाद सं0 164/82 की तनकी संख्या 01 में कानाराम के धन्नाराम का गोदपुत्र होने बाबत कायम की गई परन्तु उक्त वाद को कानाराम के वारिसान द्वारा दिनांक 22.04.2022 को जरिये विड्रोल खारीज करवा लिया एवं इसी वाद में काउन्टर क्लेम का निर्णय करते हुए उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा मोहनराम को लादुडी का विधिक उत्तरधिकारी स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में अपीलांट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत की गई हो इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्षत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण सं0 1069 दिनांक 14.03.2023 पंजीकृत हकतर्कनामा के आधार पर मोहनराम के नाम स्वीकृत किया गया जो विधि अनुसार उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारीज की जाती है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक **03.09.2024** को सुनाया गया।

3/9/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.09.23 15:53:39 IST
Reason: SelfAttested